फर्द अहकाम

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

पंजाब नेशनल बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय–मंडल शस्त्रा विभाग, तृतीय तल, एलआईसी भवन, सबसिटी सेन्टर रेती स्टेण्ड, उदयपुर राजस्थान तथा शाखा कार्यालयः नाथद्वारा

–प्रार्थी

बनाम

1. श्री प्रेम नारायण शर्मा पिता श्री भंवर लाल शर्मा नि. लोधा घाटी, नाथद्वारा, 156/5, लोधा घाटी, बोयला, नाथद्वारा जिला राजसमंद

– – –ऋणी

2. श्रीमती बबली शर्मा पत्नी श्री भंवरलाल शर्मा नि. लोधा घाटी, नाथद्वारा, मकान नं. 100, बायना लोधा घाटी, बोयला, नाथद्वारा जिला राजसमंद **–जमानती**

अप्रार्थीगण

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 61/2022**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 12.04.2022 प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक, नाथद्वारा ने दिनांक 23.02.2022 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी ने प्रार्थी बैंक से जरिये खाता ऋण करार संख्या 06074015004356 के द्वारा 04.00 लाख रूपये का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण मय ब्याज के पुर्नभुगतान की सिक्योरिटी के पेटे अपनी अचल संपत्ति – (1) ग्राम लोधाघाटी वायला, नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद में स्थित श्रीमती बबली शर्मा पत्नी श्री भंवरलाल शर्मा के नाम भूमि एवं निर्माण संपत्ति, जिसका क्षेत्रफल 400.50 वर्ग फिट है को प्रार्थी बैंक के पास रहन किया। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी बैंक के उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सकें और दिनांक 31.03.2021 को ऋण के भुगतान में व्यक्तिगत डिफाल्ट होने पर अप्रार्थीगण के उक्त ऋण खाते को एन.पी.ए. घोषित कर दिया है। प्रार्थी बैंक के अप्रार्थी से उक्त ऋण खाता संख्या 06074015004356 में मात्र बकाया रकम व ब्याज़ दिनांक 31.03.2021 तक 4,27,371.66 रू. शेष व देय निकलते है की मांग हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत दिनांक 05.06.2021 को	

न्यायालय जिला कलक्टर

एक मांग नोटिस भी जरिये रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अप्रार्थी को उनके ज्ञात पतें पर प्रेषित किया, जिनकी एकनोलेजमेंट की छाया प्रतिया बैंक द्वारा प्रस्तुत की जो संलग्न है। परंतु धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति व जानकारी के पश्चात भी अप्रार्थी द्वारा देय राशि का भुगतान प्रार्थी बैंक को नहीं किया है। अप्रार्थी ने प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त ऋण अवधि की पुर्नभुगतान के लिए जो संपत्ति ऋणी श्रीमती बबली शर्मा पत्नी श्री भंवरलाल शर्मा ग्राम लोधाघाटी वायला, नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद में स्थित भूमि एवं निर्माण संपत्ति, जिसका क्षेत्रफल 400.50 वर्गफिट रहन रखी है। उसका प्रार्थी बैंक में रहन दस्तावेजों के अनुसार विवरण इस प्रकार हैः–

(1) पूर्व मेंः–रास्ता एवं छोटू लाल तंबोली का मकान
(2) पश्चिम मेंः– गली एवं देवीलालजी पालीवाल का मकान
(3) उत्तर मेंः– बंशीलाल जी स्वर्णकार का मकान
(4) दक्षिण मेंः– श्री कान्त पालीवाल का मकान

प्रार्थी बैंक उक्त वर्णित सिक्यूरिटी रहनशुदा संपत्तियों का वास्तविक कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि वसूल करने का अधिकारी है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पति का कब्जा अप्रार्थी से प्राप्त कर प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलाने की कृपा करावें।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 का नोटिस दिनांकः 05.06.2021 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस विपक्षी को उनके पते पर तामिल होने संबंधी भारतीय डाक विभाग की एकनोलेजमेंट की प्रति पेश की गई । उसके बावजुद भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की बकाया राशि मय ब्याज सहित का भुगतान आज दिनांक तक नहीं किया गया। आवेदक बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी बंधक सम्पति का विवरण श्रीमती बबली शर्मा पत्नी श्री भंवरलाल शर्मा ग्राम लोधाघाटी वायला, नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद में स्थित भूमि एवं निर्माण संपत्ति, जिसका क्षेत्रफल 400.50 वर्गफिट होकर पडौस पूर्व मेंः–रास्ता एवं छोटू लाल तंबोली का मकान,पश्चिम मेंः– गली एवं देवीलालजी पालीवाल का मकान,
उत्तर मेंः– बंशीलाल जी स्वर्णकार का मकान, दक्षिण मेंः– श्री कान्त पालीवाल का मकान है।

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य क्रो स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक, शाखा नया रोड़, नाथद्वारा के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक, शाखा नया रोड़, नाथद्वारा को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(नीलाभ सक्सेना)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलेक्टर
राजसमन्द (राज.)